न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/329

1. शिवशंकर पुत्र प्रेमचन्द जी जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग।
2. लक्ष्मीचन्द पुत्र प्रेमचन्द जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा नाबालिग जरिये वली पिता प्रेमचन्द आत्मज देव्या माली निवासी रेलगॉव ।
3. प्रेमचन्द आत्मज देव्या जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. हेमलता पुत्री घनश्याम पत्नी हरगोविन्द जाति माली निवासी देवली मांझी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. गोपाल पुत्र लटूरया जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद ।
3. बद्रीलाल पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. रामप्रसाद आत्मज रामकिशन जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. रामचन्द्र पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. शांति बाई पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. धापू बाई पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. पुष्पा बाई पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद ।
10. अयोध्या बाई पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महावीर प्रसाद वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम रेल तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 09 किता की 6.64 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जो प्रार्थिनी के पडदादा लटूरिया के खाते में दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त लटूरिया के खाते की भूमि प्रार्थिनी के दादा देव्या जी व अप्रार्थी कम 04 व मृतक रामकिशन के नाम 1/3 – 1/3 हिस्से से दर्ज हुई । रामकिशन की मृत्यु के बाद उनके 1/3 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी कम 05 से 11 के नाम दर्ज हुई उक्त भूमि में प्रार्थिनी के दादा देव्या जी का 1/3 हिस्सा दर्ज है । प्रार्थिनी के पिता घनश्याम जी का देहावसान दिनांक 29.05.1984 को हो गया उस समय प्रार्थिनी की उम्र 01 वर्ष की थी । प्रार्थिनी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि को देव्या जी व प्रेमचन्द ही काश्त करते थे । प्रार्थिनी अपने नाना के यहॉ रहती थी जिसके भरण–पोषण पढाई लिखाई आदि का खर्चा देव्या जी देते थे । प्रार्थिनी अपने पिता के हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करती आ रही है । उक्त भूमि देव्या जी की पुश्तैनी भूमि है और देव्या जी को उक्त पुश्तैनी भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी अप्रार्थी कम 03 ने आपस में मिलीभगत कर प्रार्थिनी को उसके हिस्से की भूमि से महरूम कर देने के उद्देश्य से एक अवैध वसीयत देव्या जी से अपने पुत्र अप्रार्थी कम 1 व 2 के नाम आलेखित करवा ली और उसे उप पंजीयक कर्यालय दीगोद से पंजीकृत करवा लिया । उक्त वसीयत प्रार्थिनी के हितों के विपरीत अवैध एवं प्रभावशून्य है । अप्रार्थी कम 03 ने उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थिनी के दादा के 1/3 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी कम 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 833 दिनांक 05.01.2011 तस्दीक करवा लिया और राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी कम 01 व 2 नाबालिग जरिये वली पिता प्रेमचन्द अंकित करवा लिया जो गलत है । देव्या जी के 1/3 हिस्से की भूमि में प्रार्थिनी का 1/2 हिस्सा है अर्थात् कुल भूमि में 1/6 हिस्सा है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थीगण ने रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थिनी का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिनी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में देव्या जी के 1/3 हिस्से की भूमि को अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान तथा अन्तरण नहीं करें ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 09.04.2012 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी कम 1 से 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व देव्या के नाम पर सहखातेदारी में अंकित थी तथा देव्या ने अपने हिस्से की

आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलान्ट कम 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित कर दिया था । उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 05.01.2011 से आराजी अपीलान्ट के खाते दर्ज हो चुकी है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं । प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट कम 01 को उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी जिसके सम्बन्ध में वादिया ने सिविल न्यायालय में वसयीत को निरस्त करवाने एवं इंतकाल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट कम 01 का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही उनका उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा है । प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने वादग्रस्त आराजी के पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2012 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट अक्सर बीमार रहता है तथा अपीलान्ट कम 1 व 2 नाबालिग हैं । अपीलान्ट टाईफाइड से बीमार हो गया था और वह दिनांक 01.05.2012 तक बीमार रहा । बीमारी से ठीक होने पर वह अपने वकील साहब के पास गया तो उन्होंने उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी जिस पर नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 10.05.2012 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार करते हुए प्रतिवादी अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान हिब्बा एवं अन्तरण नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में देव्या के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी । देव्या ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलान्ट कम 1 व 2 को दी है और इस वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 05.01.2011 को अपीलान्टगण के पक्ष में खोला जा चुका है। अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के द्वारा वसीयत को निरस्त करवाने के लिए एवं इंतकाल को निरस्त करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही उनका इस आराजी पर कब्जा है । प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट का दावा बेरून मियाद है, आराजी पैतृक है इसके सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है । निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जो प्रार्थिया के पडदादा लटूरिया के खाते में थी उनकी मृत्यु के बाद आराजी प्रार्थिया के दादा देव्या जी व अप्रार्थी कम 04 व मृतक रामकिशन के नाम 1/3 – 1/3 हिस्से से दर्ज हुई । प्रार्थिया के दादा देव्या जी का इसमें 1/3 हिस्सा निहित है । देव्या के 02 पुत्र हुए घनश्याम और प्रेमचन्द । प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट घनश्याम की पुत्री है । घनश्याम जी का जब देहान्त हुआ तब प्रार्थिया एक वर्ष की थी । प्रार्थी का विवाह भी देव्या जी ने किया था । प्रार्थिया अपने पिता घनश्याम जी की भूमि का उपयोग एवं उपभोग करती चली आ रही है । देव्या जी को पैतृक सम्पत्ति को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है । अप्रार्थी कम 03 जो कि देव्या के पुत्र हैं उन्होंने वसीयत अपने पुत्र अप्रार्थी कम 1व 2 के नाम आलेखित करवायी है और उसका पंजीयन करवा लिया है । वसीयत अवैध एवं प्रभावशून्य है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2012 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 09 किता की 6.64 हैक्टर देव्या, रामकिशन, गोपाल पुत्रान लटूरया के खाते में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 767 दिनांक 05.11.2009 एवं 833 दिनांक 05.01.2011 का नोट अंकित है । नामान्तरकरण संख्या 833 के अनुसार मृतक देव्या के स्थान पर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर शिवशंकर, लक्ष्मीचन्द पुत्र प्रेमचन्द का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । पत्रावली में घनश्याम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति और ग्राम पंचायत के प्रमाण की प्रति संलग्न है । इसमें हेमलता को घनश्याम की पुत्री अंकित किया गया है । राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, सीमल्या की टी0सी0 की प्रति भी संलग्न है जिसमें हेमलता को घनश्याम की पुत्री दर्शाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

13. प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट के द्वारा यह कथन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हे कि वो घनश्याम की पुत्री है और पारिवारिक शजरे के अनुसार घनश्याम देव्या जी का पुत्र है । वादग्रस्त आराजी में देव्या का 1/3 हिस्सा निहित है । प्रार्थिया का यह भी कथन है कि देव्या जी के द्वारा वसीयत शिवशंकर एवं लक्ष्मीचन्द के पक्ष में जो आलेखित की गई है वह अवैध एवं प्रभावशून्य है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी जरिये पंजीकृत वसीयत उनके खाते में दर्ज हुई है । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय होगें इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर अप्रार्थी अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान नहीं करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा

अस्थायी निषेधाज्ञा से जो पाबन्द किया गया है उसमें कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दावे के निर्णय तक विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द होने से रोका जाना उचित है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2012 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा